संरक्षण संबंधित कानूनों की संक्षिप्त जानकारी

जैव विविधता अधिनियम २००२ व जैव विविधता नियम २००४

KALPAVRIKSH
कल्पवृक्ष

संरक्षण संबंधित कानूनों की संक्षिप्त जानकारी [१]

जैव विविधता अधिनियम २००२ व जैव विविधता नियम २००४

यह अधिनियम जैव विविधता संरक्षण, जैव संसाधनों के सतत् उपयोग और इनके उपयोग से मिलने वाले लाभों के उचित व तुल्य बंटवारे से जुड़ा है।

यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है।

१. इस अधिनियम में उपयोग किए गए कुछ विशेष शब्दों की परिभाषाएँ क्या हैं?

- ''जैव विविधता'' का मतलब है जीव-जन्तु, और उनकी पारिस्थितिकीय व्यवस्था की विविधता व उनकी परिवर्तनशीलता। इसमें प्रजातियों की आंतरिक विविधता, विभिन्न प्रजातियों के बीच की विविधता और उनकी पारिस्थितिकी की विविधता शामिल है।
- ''जैव संसाधनों'' का मतलब है वनस्पति, जानवर व सूक्ष्म-जीव, उनके अलग-अलग अंग, उनकी आंतरिक अनुवंशकी बनावट व इस बनावट की प्रक्रिया से निकले उत्पाद जिनका उपयोग किया जा सकता है। जैव संसाधनों की परिभाषा में मनुष्यों की अनुवंशकी सामग्री शामिल नहीं है।
- ''जैव सर्वेक्षण व जैव उपयोग'' का मतलब है प्रजातियों उप-प्रजातियों, अनुवंशकी सामग्री और जैव संसाधनों के हिस्सों और तत्वों को इकट्ठा करना। इसमें इन संसाधनों और उनके विशेष लक्षणों व विशेषताओं की सूची बनाना, उनकी विस्तृत जानकारी देना तथा संशोधन के लिए किसी जन्तु पर उनके प्रभाव की जाँच करना शामिल है।
- ''स्थानीय संस्थाओं'' का मतलब है पंचायतें व नगरपालिकाएँ। तथा पंचायत या नगरपालिका की गैरहाजिरी में कोई भी संस्था जो लोगों ने अपने-आप बनाई हो और वह संस्था किसी अधिनियम के अंतर्गत मान्य हो, उसे ''स्थानीय संस्था'' माना जा सकता है।

---

१ दिव्या राधाकृष्णन व ध्रुव सिंह, सिमबाएसिस सोसाइटी के लॉ कालेज (पुणे) के विद्यार्थियों, द्वारा कल्पवृक्ष के लिए, आशीष कोठारी व नीमा पाठक के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। संपादकीय सहयोग तेजस्वनी आपटे व एरिका तारापोरवाला ने दिया। यह वैधानिक टिप्पणियां प्रत्येक कानून के मुख्य प्रावधानों को आसान शब्दों में उपलब्ध कराने के लिए हैं इसलिए इनमें कानूनों का विश्लेषण शामिल नहीं है।

२. अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण व कोष स्थापित करने के क्या प्रावधान हैं?

निर्णय लेने वाली संस्थाएँ तीन स्तर पर बनाई जाएंगी - राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता प्राधिकरण व ग्राम स्तर पर जैवविविधता प्रबंधक कमिटी। प्रत्येक का विस्तृत वर्णन इस प्रकार हैः

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (खण्ड ८)

केन्द्रीय सरकार चेन्नई में एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित करेगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगेः

१) अध्यक्ष - एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिष्ठित होने के साथ-साथ जैवविविधता के विषय पर उचित जानकारी व अनुभव रखता/रखती हो।

२) ३ सदस्य - जो जनजाति व पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित मंत्रालयों के पदों पर हों। उनमें से १ जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेगा व २ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनमें से एक वनों का निर्देशक या संयुक्त निर्देशक होना चाहिए।

३) ७ ऐसे सदस्य जो केन्द्रीय सरकार के उन मंत्रालयों के पदों पर हों जहाँ कृषि अनुसंधान व शिक्षा, जैव प्रौधोगिकी, महासागर विकास, कृषि व सहयोग, भारतीय औषध पद्धतियों व होम्योपैथी, विज्ञान व तकनीक, विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान के मुद्दों से संबंधित हों।

४) और ५ गैर सरकारी सदस्य।

राष्ट्रीय प्राधिकरण एक ऐसी कमिटी भी बना सकता है जो कृषि जैव विविधता और कृषि फसलों की जंगली प्रजातियों या ऐसे अन्य मुद्दों पर खास ध्यान दें (खण्ड १३)।

राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्य (खण्ड १८)

१) भारतीय जैवविविधता तक विदेशी पहुंच को मान्यता देना, नियंत्रित करना, या रोकना। जैवविविधता से जुड़ी जानकारी के पेटेन्ट अधिकारों के आवेदनों का निरीक्षण करना व यह सुनिश्चित करना कि जैवविविधता व उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान से मिलने वाले लाभ सभी संबंधित साझेदारों को तुल्य रूप से बांटे जा सकें।

२) भारत से बाहर उन पेटेन्ट को चुनौती देना जिन्हें राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

३) अगर स्वीकृति की शर्तें पूरी नहीं की जा रहीं हैं या प्राकृतिक संसाधनों को खतरा पहुंच रहा है, तो स्वीकृति को रद्द करना।

४) केन्द्रीय सरकार को जैव विविधता संरक्षण व सतत उपयोग और तुल्य लाभ वितरण के मुद्दों पर सलाह देना।

५) जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी को इकट्ठा कर उसे छापना।

६) राज्यों के जैव विविधता बोर्ड की गतिविधियों का संचालन करना और उन्हें तकनीकी सहयोग देना।

७) विरासती जैव विविध क्षेत्रों (बायोडायवर्सिटी हैरिटेज साईट्स) के विषय में राज्य सरकारों को सलाह देना (नीचे अंश ९ देखिए)।

राज्य जैवविविधता बोर्ड (खण्ड २२)

राज्य सरकार राज्य जैवविविधता बोर्ड स्थापित करेगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगेः

१) एक अध्यक्ष।

२) राज्य सरकारी विभागों के पदों से अधिकतम ५ सदस्य।

३) संबंधित विषयों के विशेषज्ञों में से नियुक्त किए गए अधिकतम ५ सदस्य।

राज्य बोर्ड के मुख्य कार्य (खण्ड २३):

१) राज्य सरकार को जैवविविधता संरक्षण व सततता और तुल्य लाभ-वितरण के विषय पर सलाह देना।

२) भारतीय आवेदकों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के बाज़ारीकृत उपयोग या जैव सर्वेक्षण व जैव उपयोग के आवेदन को स्वीकृति या अस्वीकृति देना।

३) अन्य आवश्यक कार्य करना।

जैवविविधता प्रबंधक कमिटि (खण्ड ४१)

प्रत्येक स्थानीय संस्था द्वारा एक जैवविविधता प्रबन्धक कमिटि बनाना अनिवार्य है जो अपने क्षेत्र में संरक्षण, सतत उपयोग व जैवविविधता के दस्तावेज़ीकरण के काम को

बढ़ावा दे। इसमें वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास-स्थलों की सुरक्षा, कृषि जैवविविधता व सूक्ष्म जन्तुओं का संरक्षण व जैवविविधता से संबंधित ज्ञान व उसके इतिहास का विवरण तैयार करना भी शामिल है।[२]

जैवविविधता कमिटी में ७ सदस्य होंगे, जिसके १/३ महिलाएं होंगी और १८ प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधि। यह कमिटी किसी भी व्यक्ति से फीस ले सकती है जो व्यापार हेतु - कमिटि के कार्य क्षेत्र में आने वाले जैविक संसाधनों का एकत्रीकरण या उपयोग करता है।

राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरण को किसी भी संसाधन के उपयोग का निर्णय लेने से पहले उस क्षेत्र की जैवविविधता कमिटि की सलाह लेना अनिवार्य है।

ऊपर दिए गए राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर एक-एक जैवविविधता कोष बनाने का प्रावधान है। इसके लिए विभिन्न स्रोतों से पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत दी गई गतिविधियों पर खर्च किया जा सकता है - जिसमें स्थानीय लोगों के बीच तुल्य रूप से लाभ वितरण को बढ़ावा देना भी शामिल है (नीचे अंश ६ देखिए)।

३. इस अधिनियम के अन्तर्गत जैविक संसाधनों की ओर विदेशी पहुंच को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है?

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को भारत में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों या उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने से पहले राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की स्वीकृति लेनी होगी, चाहें वह अध्ययन के लिए हो या व्यापार के लिए (खण्ड ३)।

१) जो भारतीय नागरिक न हो।

२) जो आयकर अधिनियम १९६१ के खण्ड २ के उपवाक्य ३० में परिभाषित प्रवासी भारतीय हो।

३) ऐसी कम्पनी, एसोसिएशन या संस्था जोः

- भारत में पंजीकृत न हो।

---

२ राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, जैवविविधता रजिस्टर बनाना, जिसमें लोगों की स्थानीय जैवविविधता के विषय में जानकारी शामिल करना, कमिटि का मुख्य कार्य है। लेकिन कुछ राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश व सिक्किम, में इन कमिटियों को संरक्षण, सतत् उपयोग व लाभ-वितरण के कार्य सौंपे गए हैं।

- भारत में पंजीकृत हो पर उसके प्रबन्धन या उसकी शेयर पूंजी में गैर-भारतीयों की सहभागिता हो।

यह स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन नियमों में दिया गया है।

राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना ऊपर दी गई सूची में वर्णित कोई भी व्यक्ति भारत में पाए जाने वाले, या भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों पर किए गए अध्ययन के परिणाम देश से बाहर नहीं ले जा सकता (खण्ड ४)।

इस प्रकार किसी तीसरे व्यक्ति को जानकारी देने की प्रक्रिया नियमों में विस्तृत रूप से दी गई है।

जैव-संसाधनों को प्राप्त करने के आवेदनों को निम्नलिखित कारणों से नामंजूर किया जा सकता है - जब वह जैवविविधता के लिए खतरा पैदा करते हों, स्थानीय लोगों की आमदनी के लिए खतरा पैदा करते हों या जब वह किसी अन्य कारण से राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक हों।

ऊपर दिया गया राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्वीकृति का नियम ऐसे सहयोगी अनुसंधान पर लागू नहीं है जो भारत और अन्य देश के सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थानों बीच किए गए हों। ऐसे सहयोगी अनुसंधान का केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है व उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है (खण्ड ५)।

कई साधारण रूप से बेचे जाने वाले जैव संसाधनों को केन्द्रीय सरकार इन प्रावधानों से छूट दे सकती है। जैसे - कुछ फसलें, जो आम तौर पर निर्यात की जाती हैं। इन संसाधनों का एक सरकारी सूचना-पत्र प्रकाशित करना ज़रूरी है। साथ ही, इन संसाधनों को आयात करने वालों को यह घोषित करना होगा कि वे इनका उपयोग अनुसंधान या उत्पादन के लिए नहीं करेंगे।

४. इस अधिनियम में भारतीय लोगों द्वारा जैव संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने के क्या नियम हैं?

भारतीय नागरिक, या कम्पनियां, या एसोसिएशन, जो भारत में पंजीकृत हैं और जिसमें कोई विदेशी सहभागी न हो, राज्य जैवविविधता प्राधिकरण को सूचित करने के बाद किसी भी जैव संसाधन को व्यापारिक प्रयोग, जैव सर्वेक्षण या जैव उपयोग के लिए प्राप्त कर सकते हैं (खण्ड-७)।

स्थानीय संस्थाओं से विचार-विमर्श और स्वयं जाँच करने के बाद, राज्य प्राधिकरण ऐसे किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगा सकता है, यदि उसे लगता है कि उस कार्यक्रम से जैव विविधता संरक्षण, सतत् उपयोग या तुल्य लाभ-विवरण को खतरा है (खण्ड २४)।

यह प्रावधान स्थानीय लोगों या समुदायों पर लागू नहीं होंगे जैसे कि, जैविक संसाधनों के उत्पादक व वैद्य और हकीम, जो चिकित्सा के पारंपरिक तरीकों का अभ्यास करते आए हों (खण्ड-७)।

५. यह अधिनियम बौद्धिक संपदा अधिकार (पेटेंट) को कैसे नियंत्रित करता है?

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना भारत या भारत के बाहर, कोई भी व्यक्ति ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, जिसे भारत में पाए जाने वाले जैव संसाधन के अध्ययन/जानकारी के आधार पर आविष्कार किया गया हो (खण्ड ६(१))।

नियमों में इस प्रकार की स्वीकृति लेने की प्रक्रिया दी गई हैः

यदि कोई व्यक्ति किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करता है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण को ३ महीने की अवधि में उसके बारे में निर्णय लेना होगा। राष्ट्रीय प्राधिकरण तभी स्वीकृति देगा जब वह आश्वस्त हो कि आवेदक ने सारी शर्तो को पूरा किया है (खण्ड १८)।

ये प्रावधान ऐसे पौध प्रजाति पर बौद्धिक संपदा अधिकार के आवेदन पर लागू नहीं होंगे जो 'पौध प्रजातियों व कृशक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, २००१'[३] के अन्तर्गत आते हैं (खण्ड ६(३))।

आवेदन प्राप्त करने पर राष्ट्रीय प्राधिकरण अपने स्तर पर जाँच करता है और ज़रूरत पड़ने पर एक विशेषज्ञ कमिटी स्थापित कर सकता है। प्राधिकरण इस कमिटी की सलाह पर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। किसी भी आवेदन को स्वीकृति देने के बाद उसके विषय में आम सूचना जारी करना राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए अनिवार्य है (खण्ड १९(३) व (४) और २० (४))।

---

३ इस अधिनियम के अंतर्गत, फसलों व अन्य पौधों की नई नस्लों के बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जा सकते हैं। लेकिन किसानों द्वारा इन नस्लों को उपयोग करने के अधिकार को सुरक्षित करने के बाद।

६. अधिनियम में स्थानीय समुदायों के साथ लाभ बंटवारे का क्या प्रावधान है?

जब भी जैव संसाधनों के उपयोग या बौद्धिक संपदा अधिकार को स्वीकृति दी जाएगी तब राज्य जैवविविधता बोर्ड व राष्ट्रीय प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेंगे कि उनसे होने वाले लाभ को तुल्य रूप से बांटा जाएगा। लाभ को, आवेदक व ''लाभ के दावेदारों'' (जैसे कि वे समुदाय व व्यक्ति जो इन जैव संसाधनों का संरक्षण करते आए हैं और जिन्होंने इन संसाधनों से संबंधित जानकारी, प्रणालियों व नवीनीकरण की रचना की है) के बीच बांटा जाएगा। आवेदक, संबंधित स्थानीय संस्थाओं[४] व लाभ के दावेदारों के बीच आपसी समझौते से इस लाभ-वितरण की शर्तें तय की जाएंगी (खण्ड २१(१))।

लाभ वितरण निम्नलिखित तरीकों से हो सकते हैं (खण्ड २१(२))ः

१) बौद्धिक संपदा अधिकार के आवेदक व राष्ट्रीय प्राधिकरण के बीच संयुक्त अधिकार, या आवेदक व लाभ के दावेदारों के बीच संयुक्त अधिकार।

२) लाभ के दावेदारों को तकनीकी हस्तांतरण।

३) अध्ययन, विकास, और उत्पादन की इकाईयाँ ऐसे स्थानों पर बनें जहाँ उनके कारण लाभ के दावेदारों का जीवन स्तर भी बेहतर हो सके।

४) जैव संसाधनों के अध्ययन व विकास में भारतीय वैज्ञानिकों, लाभ के दावेदारों व स्थानीय लोगों को जोड़ना।

५) लाभ के दावेदारों की मदद के लिए उद्यम पूंजी कोष[५] की स्थापना करना।

६) लाभ के दावेदारों को आर्थिक व गैर आर्थिक लाभ उपलब्ध कराना। जहां ऐसे व्यक्ति या संस्थाएँ मौजूद हैं जिनसे जैव संसाधन या उनके विषय में जानकारी प्राप्त की गई हो, वहां प्राधिकरण सुनिश्चित कर सकता है कि जिला प्रशासन उन्हें एक अनुबंधित राशि का भुगतान करे। जहां ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं न मिलें वहां यह राशि राष्ट्रीय जैवविविधता कोष में जमा की जा सकती है।

---

४ संविधान के अंतर्गत गठित पंचायतें व नगरपालिकाएँ और पंचायत या नगरपालिका की गैरहाजिरी में कोई भी संस्था जो लोगों ने अपने-आप बनाई हो और वह संस्था किसी अधिनियम या संविधान के अंतर्गत मान्य हो।

५ उभरती हुई तकनीकों व उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, उन लागों या संस्थाओं द्वारा निवेश, जो इन तकनीकों या उद्योगों के खुद मालिक न हों।

७. अधिनियम में पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है?

अधिनियम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि स्थानीय लोगों की जैवविविधता से संबंधित जानकारी को सम्मान मिले व उसकी सुरक्षा हो। इसके लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की सलाह से स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक ज्ञान का पंजीकरण किया जा सकता है (खण्ड ३६(५))।

८. इस अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण के अन्य प्रावधान क्या हैं?

अधिनियम में केई प्रकार के संरक्षण कार्यों के प्रावधान हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारियाँ बताया गया है।

१) राष्ट्रीय रणनीतियाँ, योजनाएँ व कार्यक्रम तैयार करना जिससे जैवविविधता संरक्षण, संवर्धन व उसके सतत् उपयोग का कार्य किया जाए। इसमें जैवविविधता संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्रों की पहचान व उनका निरीक्षण करना, संसाधनों का उनके क्षेत्रों में या बाहर संरक्षण करना व जैवविविधता के विषय में जागृति बढ़ाने के लिए अध्ययन, प्रशिक्षण व शिक्षा को प्रोत्साहन देना शामिल है (खण्ड ३६(१))।

२) अगर किसी क्षेत्र में जैवविविधता को खतरा है, तो राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने के दिशानिर्देश जारी करना (खण्ड ३६(२))।

३) ऐसी परियोजनाओं के परिस्थितिकीय प्रभावों का मूल्यांकन करना जिनका जैवविविधता पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है (खण्ड ३६(४)(१))।

अभी तक नियमों में, इस प्रावधान को लागू करने की प्रक्रिया के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। [६]

४) जीव-विज्ञान व तकनीकों के फलस्वरूप परिवर्तित जीव-जन्तुओं के कारण पैदा होने वाले ऐसे खतरों का नियंत्रण करना जिनका मानवीय स्वास्थ्य व जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है (खण्ड ३६(४)(२))।

इस प्रावधान के लिए भी कोई प्रक्रिया सुझायी नहीं गई है। [७]

---

६ इसे फिलहाल पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित किया जा रहा है।

७ यह फिलहाल पर्यावरण अधिनियम, १९८६ के अंतर्गत जीव-विज्ञान द्वारा परिवर्तित जंतुओं संबंधी प्रावधानों से नियंत्रित किया जा रहा है।

५) ऐसी प्रजातियों, जो लुप्त होने की कग़ार पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्रजाति घोषित करना और उनके एकत्रीकरण को नियंत्रित या प्रतिबंधित करना तथा इन प्रजातियों की पुनः स्थापना व सुरक्षा के लिए कदम उठाना। यह सब संबंधित राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श में किया जाए (खण्ड ३८)।

६) राष्ट्रीय प्राधिकरण की सलाह से कुछ संस्थाओं को अलग-अलग श्रेणी के जैव संसाधनों की 'संग्राहक संस्था' घोषित करना। यह संग्राहक संस्थाएं जैविक सामग्री को सुरक्षित रखेंगी। यदि कोई व्यक्ति नई प्रजाति, नस्ल इत्यादि की खोज करे तो वह संग्राहक संस्था को अवश्य सूचित करे और उसका एक नमूना वहाँ जमा करे (खण्ड ३९)।

इसके लिए सुझाई गई प्रक्रिया नियमों में दी गई है।

विरासती जैवविविध क्षेत्रों (बायोडायवर्सिटी हैरिटेज साईट) को घोषित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है (नीचे अंश ९ देखिए) ।

९. विरासती जैवविविध क्षेत्र (बायोडायवर्सिटी हैरिटेज साईट) क्या है?

राज्य सरकार, स्थानीय संस्थानों की सलाह से, जैवविविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को 'विरासती जैव विविध' क्षेत्र घोषित कर सकती है। केन्द्रीय सरकार की सलाह से, राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों के संरक्षण व प्रबन्धन के लिए नियम बनाएगी और जिन लोगों पर इस कारण आर्थिक प्रभाव पड़ा है उनके लिए क्षतिपूर्ति व पुनर्वास का विनियोजन करेगी (खण्ड ३७)।

इस प्रावधान को लागू करने की कोई प्रक्रिया नियमों में नहीं है।

१०. अधिनियम में विवाद हल करने के क्या प्रावधान है?

यदि राष्ट्रीय व राज्य जैवविविधता बोर्ड के बीच विवाद खड़ा होता है, तो वे केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव को प्रबोधित, फार्म-५ के ज़रिए अपील कर सकते हैं।

किन्हीं दो राज्य जैवविविधता बोर्डों के बीच विवाद होने पर, केन्द्रीय सरकार मामला राष्ट्रीय प्राधिकरण को सौंप देगी (खण्ड ५०)।

अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य बोर्ड के फैसले से असंतुष्ट है, तो वह निर्णय प्राप्त होने के ३० दिन के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है (खण्ड ५२)।

जैवविविधता प्रबन्धक कमिटी के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

संरक्षण संबंधित कानूनों की संक्षिप्त जानकारी
जैव विविधता अधिनियम २००२ व
जैव विविधता नियम २००४
चित्रांकन : मधुवंती अनंतराजन
अनुवाद : निधि अग्रवाल
प्रकाशित : कल्पवृक्ष, अपार्टमेन्ट ५ श्री दत्तकृपा,
९०८ डेक्कन जिमखाना, पुणे-४११००४
फोन : ९१-२०-२५६७५४५०,
फोन/फैक्स : ९१-२०-२५६५४२३९
ईमेल : kvoutreach@gmail.com
वेबसाइट : www.kalpavrish.org
आर्थिक सहयोग : मिज़रिओर, जर्मनी